



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266220  
CG-DL-E-17092025-266220

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 663(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1) और (3), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक “6” के स्थान पर, अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक “6” के स्थान पर अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है।  [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा	
	9	”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक “6” के स्थान पर, अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) माल का ‘बहु साधन द्वारा परिवहन’ (मल्टीमोडल), जहां माल उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन में कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ द्वारा किया जाता है, जैसे;		

<p>(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।</p>	<p>2.5</p>	<p>बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है।</p> <p>और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।</p> <p>उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए (माल</p>
---	------------	--

		<p>परिवहन एजेंसी) यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा:</p> <p>(i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये।</p> <p>(ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।</p>
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	<p>परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"</p>

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(ik) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत	2.5	<p>बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित</p>

शामिल है।		इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है।  [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]  वर्शते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	-”;

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		(iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डिलीवरी सेवाएँ	9	-”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.5” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	0.75	-”;
		<p>(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ -</p> <p>(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;</p> <p>(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर;</p> <p>(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;</p> <p>(घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद;</p> <p>बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी;</p> <p>(ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;</p> <p>(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है;</p> <p>(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद;</p> <p>(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से केंद्रीय कर लगता है;</p> <p>(झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं;</p>	2.5	

		(ज) हस्तशिल्प वस्तुएं;		
		(ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में:-  (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है।	2.5	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (ik) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी";

(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35"	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएँ।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने	9	-";

		वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	
--	--	--	--

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(क) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“(xxxx) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ख) खंड (xxxx) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 691 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है;

(xxiii) ‘परिवहन के साधन के प्रकार’ से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।”

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘परिसर’ का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ‘पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति’ में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।”

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम



संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 38(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

#### No.15/2025-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 663(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-sections (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figure “(i),” shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	”;

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by a multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken.  Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

		<p>Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.</p> <p>Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges central tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges central tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under:</p> <p>i. Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA;</p> <p>ii. To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.</p>
b. At least one mode of transport is by air.	9	<p>Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;</p>

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)]
		Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
	9	or -”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) Local delivery services	9	-
		a. supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017; b. other than (a) above		
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-”;

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	0.75	
		(ii) Services by way of job work in relation to-  (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter;  (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively;  (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;  (f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	2.5	
“26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)			”;

		1975) which attract central tax @2.5% or Nil;		
		(g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);		
		(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract central tax @2.5%;		
		(i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);		
		(j) handicraft goods;		
		(k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract central tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;  
(B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;  
(B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;

(C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).  Explanation.-  For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract central tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-”;

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Central Tax (Rate), dated 17<sup>th</sup> September, 2025.”

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 12/2017 -Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-

(a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and

(b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

*“Explanation 1.-* For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

*Explanation 2.-* For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification number 05/2025-Central Tax (Rate), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 38(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025.



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

**सं. 15/2025- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि.664(अ).—** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "12" के स्थान पर अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]

	अथवा	
	18	—”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "12" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	5	<p>बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है।</p> <p>और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।</p> <p>उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी (माल परिवहन एजेंसी) 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 18% की दर से कएकीकृत कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 5% की दर से</p>

		एकीकृत कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 30 रुपये (600 रुपये का 5%) ना कि 108 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 20 रुपये (400 रुपये का 5%) की सीमा तक।
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	18	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष , -

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "12" के स्थान पर अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(ik) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	18	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	18	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	18	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ	18	-
		(क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालकके माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल		

		एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए		
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डििलीवरी सेवाएं	18	—”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “18” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	1.5	
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इन्पुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;  (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर;  (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;  (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू	5	—”;

	<p>नहीं होगी;</p> <p>(ड) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;</p> <p>(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 5% या शून्य की दर से एकीकृत कर लगता है;</p> <p>(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद;</p> <p>(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 5% की दर से एकीकृत कर लगता है;</p> <p>(झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं;</p> <p>(ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं;</p> <p>(ट) छाता।</p>		
	(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	18	
	(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	18	
	<p>(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में-</p> <p>(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण;</p> <p>(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 5% या शून्य की दर से एकीकृत कर लगता है।</p>	5	
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	5	
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	18	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएं।	5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित एकीकृत कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	18	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 5 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(xxxx) 'माल परिवहन एजेंसी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- (i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 684(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (यप) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है;

(xxiii) ‘परिवहन के साधन के प्रकार’ से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।”

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 5 में, खंड (xxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘परिसर’ का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ‘पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति’ में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

**No. 15/2025- Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 664(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) and (3) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 8/2017- Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i),

(I) for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figures “(i),” shall be inserted;

(ii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(iii) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item(b) of (iii), in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -



(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	18	—”;

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by a multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved.	5	<p>Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken.</p> <p>Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.</p> <p>Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.</p>

		<p>Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges integrated tax at 18%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges integrated tax at 5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under:</p> <p>i. Only to the extent of Rs. 30 (5% of Rs. 600) and not Rs. 108 for the input service of GTA;</p> <p>ii. To the extent of Rs. 20 (5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.</p>
b. At least one mode of transport is by air.	18	<p>Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;</p>

(iv) against serial number 10,-

- (A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;
- (B) for item (ia) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit

			of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)]
			Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5% shall not be taken.
			or
	18		”;

(v) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	18	-
		(ii) Courier services	18	-
		(iii) Local delivery services (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. 1. other than (a) above	18	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	18	”;

(vi) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(vii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(viii) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(ix) for serial number 26 and the entries relating, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	1.5	
		(ii) Services by way of job work in relation to-  (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter;  (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively;  (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;  (f) Printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5% or Nil;  (g) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	5	
“26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)			—”;

		(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5%;		
		(i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);		
		(j) handicraft goods;		
		(k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	18	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	18	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5% or Nil.	5	
		(vi) Tailoring services.	5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	18	

(x) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;
- (B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(xi) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;
- (B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -  
“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;
- (C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “40” shall be substituted;
- (D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “40” shall be substituted;

(xii) for serial number 35, and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).  Explanation.-  For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract integrated tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	18	-”;

(xiii) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Integrated Tax (Rate), dated 17<sup>th</sup> September, 2025.”

(a) in paragraph 5, relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely:-  
“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zu) of paragraph 2 of notification No. 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. number 684 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-

- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
- (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

2. with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025, in paragraph 5, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1*.- For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

*Explanation 2*.- For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 8/2017 - Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 05/2025- Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India vide number G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 2025.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025- संघ राज्य कर (दर)

**सा.का.नि. 665(अ).—** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1), (3) तथा धारा 21 , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में

आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I)कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II)कॉलम (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -



(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा	
	9	-";

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के		

<p>कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;</p>		
<p>(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।</p>	<p>2.5</p>	<p>बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है।</p> <p>और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।</p> <p>उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में</p>

		<p>नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए (माल परिवहन एजेंसी) यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा:</p> <p>(i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये।</p> <p>(ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।</p>
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	<p>परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"</p>

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद ( iक) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(iक) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है।  [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	—”;

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ  (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान	9	-

		करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए		
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद ( iक) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	0.75	”;
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं -	2.5	

विनिर्माण सेवाएँ)	<p>(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;</p> <p>(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर;</p> <p>(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;</p> <p>(घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद;</p> <p>बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी;</p> <p>(ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;</p>
-------------------	---

		<p>(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है;</p> <p>(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद;</p> <p>(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से संघ राज्य कर लगता है;</p> <p>(झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं;</p> <p>(ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं;</p> <p>(ट) छाता।</p>		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	

	(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में-		
	(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण;	2.5	
	(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है।		
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (ik) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii)क) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";



(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएँ।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)।  स्पष्टीकरण:-  संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxx) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 703(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है।

;

(xxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल

आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

**No.15/2025-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 665(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) and (3) of section 8, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the

Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figure “(i),” shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	”;

- (C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;
- (D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by the multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved..	2.5	<p>Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken.</p> <p>Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.</p> <p>Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.</p> <p>Illustration: ‘A’ engages ‘B’ (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein ‘B’ uses more than one mode of transport for the movement of goods. ‘B’, for supplying the said service hires a GTA</p>

		<p>i.e., 'C' for Rs 600 who charges union territory tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges union territory tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under:</p> <p>i. Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA;</p> <p>ii. To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.</p>
b. At least one mode of transport is by air.	9	<p>Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;</p>

(v) against serial number 10,-

- (A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;
- (B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	<p>Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken:</p> <p>[Please refer to Explanation no. (iv)]</p> <p>Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on</p>

			the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
			or
		9	-”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) Local delivery services a. supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017; b. other than (a) above	9	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-”;

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	Heading 9988	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling	0.75	-”;

	(Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	<p>under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);</p> <p>(ii) Services by way of job work in relation to-</p> <p>(a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);</p> <p>(b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter;</p> <p>(c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);</p> <p>(d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);</p> <p>Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively;</p> <p>(e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;</p> <p>(f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract union territory tax @2.5% or Nil;</p> <p>(g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);</p> <p>(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract union territory tax @2.5%;</p> <p>(i) all products, other than diamonds, falling under</p>	2.5	
--	---	--	-----	--



		Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);  (j) handicraft goods;  (k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract union territory tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -  
“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;
- (C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;
- (D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on

				goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).  Explanation.-  For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract central tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-”;

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Union Territory Tax (Rate), dated 17<sup>th</sup> September, 2025.”

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 12/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) 'handicraft goods' shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) 'mode of transport' means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) 'multimodal transporter' means a person who,-

- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
- (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1*.- For the purposes of this clause, 'premises' means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

*Explanation 2*.- For the purpose of sub-clause (c), the expression 'a person applying for registration' shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification number 05/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 40(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025-केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 666(अ).—** केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36ङ	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, ‘समूह’ का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 691 (अ)), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

#### No.16/2025-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 666(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or

(ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.  [Please refer to clause (zfb) in para 2]  <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.  [Please refer to clause (zfb) in para 2]	Nil	Nil

		<i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.		
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,  
(ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;  
b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2025-Central Tax (Rate), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 41(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

**सं. 16/2025- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 667(अ).—** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 19 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 37ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
37घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
37ङ	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 37ग या 37घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारोषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 37ग और 37घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह' का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रुग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

### No.16/2025- Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 667(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 9/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 19, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

- (i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or
- (ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 37B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“37C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.  [Please refer to clause (zfb) in para 2]  <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:	Nil	Nil



		<p>a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual.</p> <p>b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.</p>		
37D	Heading 9971	<p>Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.</p> <p>[Please refer to clause (zfb) in para 2]</p> <p><i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:</p> <p>a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual.</p> <p>b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.</p>	Nil	Nil
37E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 37C and 37D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
- (ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 37C and 37D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
- b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note : The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification

number 06/2025 -Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 42(E), dated the 16th January, 2025.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025- संघ राज्य कर (दर)

**सा.का.नि. 668(अ).—** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और (4), धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 21 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

		<p>[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें]</p> <p>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:</p> <p>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।</p> <p>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।</p>		
36घ	शीर्ष 9971	<p>बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।</p> <p>[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें]</p> <p>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:</p> <p>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।</p> <p>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।</p>	शून्य	शून्य
36ड	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, ‘समूह’ का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) ‘स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय’ का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं।”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

**No.16/2025-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 668(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or

(ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.  [Please refer to clause (zfb) in para 2]  <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.  [Please refer to clause (zfb) in para 2]	Nil	Nil

		<p><i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:</p> <p>a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual.</p> <p>b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.</p>		
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
- (ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
- b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 06/2025-Union Territory Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* number G.S.R. 43(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025-केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 669(अ).—** केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 47(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

**No.17/2025-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 669(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification No. 17/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 08/2025-Central Tax (Rate), dated 16<sup>th</sup> January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 47(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2025.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025- एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 670(अ).—** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 48(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025- Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 670(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-



“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 14/2017 –Integrated Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification number 08/2025 –Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 48(E), dated 16<sup>th</sup> January, 2025

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025- संघ राज्य कर (दर)

**सा.का.नि. 671(अ).—** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017- संघ राज्यक्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 708(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के उप-खंड (v) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य क्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 708 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 49(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025- संघ राज्य क्षेत्र (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

**No.17/2025-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 671(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017-Union Territory (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708(E) dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 17/2017 -Union Territory (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 08/2025-Union Territory (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 49(E), dated 16th January, 2025.